

आपका नाम: पत्रावली वास्तु
पर है: अतः पत्रावली वास्तु
दिनांक 18/11/24 को पेश हो रहा है

18/11/24

पत्रावली आज पेश हुई बकील शर्मा उपा.
कार-2 अवसर होने जाने के कारण भी तलवी
बही करायी जान गयी। तलवी आवश्यक रूप से
करानी जावे। पत्रावली दिनांक 20.01.25 को पेश
हो।

हे

20.01.25 आज यह पत्रावली पेश हुई वकील
शर्मा उपा तलवी रजिद पेश की गई इतना
राजिद ही पत्रावली दिनांक 11-3-25 को
पेश हो

हे

11.03.25 आज यह पत्रावली पेश हुई वकील
शर्मा उपा तलवी रजिद पेश की गई इतना
राजिद ही पत्रावली दिनांक 07.05.25 को पेश हो

हे

07/05/25

पत्रावली पेश हुई बकील शर्मा उपा उन्हें सुना उन्होंने
अवगत कराया कि वकील शर्मा वकील शर्मा की आराजीयात में
शर्मागण की जाति जाट के स्थान पर जाटव राजस्व
कर्मचारियों की सहवन गलती से दर्ज हो गई। जब पूर्व
अमावसी सं. 2071-74, 2067-70 एवं पटवारी रिपोर्ट में सही
जाति जाट दर्ज है अतः शर्मागण की जाति शुद्ध किया
जावे।

इसने बहस बकील शर्मा पर मनन किया गया पत्रावली

एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का गलीभांति
अद्यतन किया गया। इनके आधार पर एम प्राथमिक
की जाति शुद्ध किया जाना उचित पाते हैं।

अतः प्राथमिक पत्र प्राथमिक स्वीकार किया जाकर
तहसीलदार, मुसावर को आदेशित किया जाता है कि
ख.नं. 436, 437, 453 कोके ग्राम बारीली में प्राथमिक
की जाति जाहल के स्थान पर जाट दुरास राजस्व रिकॉर्ड
किया जावे।

पत्रावली फ़ैसल नुमार होकर नंबर से कम
हो। बाद तकनीक दाया दाखिल दफ़्तर हो।

(राधेश्याम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मुसावर (बरतपुर)